डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-77 **New Delhi: 23.02.2021**

श्री धीरज कुमार शर्मा
पुत्र श्री सुभाष चंद्र शर्मा
गांव - सिथरोली , पोस्ट - हाथरस जंक्शन
जनपद -हाथरस -204102
उत्तर प्रदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 23.01.2021, जो इस कार्यालय में दिनांक 28.01.2021 को प्राप्त हुआ।

कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्रेषित अपने दिनांक 23.01.2021 के आवेदन का अवलोकन करें, जिसमें आपने शिकायती पत्रों दिनांक 17.08.2020 एवं दिनांक 27.10.2020 के उपर की गई कार्यवाही का सम्पूर्ण ब्यौरा माँगा है। इस सम्बन्ध में आपको ज्ञात हो कि आपके द्वारा प्रेषित शिकायती पत्रों का दिनांक 14.08.2020 एवं दिनांक 27.10.2020 है, जो श्री निर्मल कुमार सिन्हा (OMBUDSMAN), DFCCIL को सम्बोधित है, एवं इसकी प्रति को अलग-अलग अधिकारियों को भेजी गई है। इन शिकायती पत्रों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा एक ही मुद्दे पर सभी अधिकारियों को अलग-अलग पत्र भेजा गया। अतः, इन्हें संयुक्त महाप्रबंधक /जन शिकायत को उचित कार्यवाही हेतु भेजा गया एवं सम्बंधित विभाग /फील्ड ईकाई (मुख्य महाप्रबंधक, DFCCIL टुंडला) को भी आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में संयुक्त महाप्रबंधक /जन शिकायत द्वारा दोनों शिकायती पत्रों की जॉच सम्बंधित कार्यालय से करवाकर आपको को पत्र संख्या HQ/PG/TLD/1/2020 दिनांक 22.02.2021 के द्वारा सूचित कर दिया है (प्रति संलग्न है)। साथ ही, सम्बंधित विभाग /फील्ड ईकाई से प्राप्त सूचना की प्रति भी संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आरo पीo छिब्बर
समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 07 पृष्ठ

23/02/2021

(एस. के. राय)
उप. महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Supreme Court, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

No. HQ/PG/TDL/1/2020 **Dated: 22.02.2021**

श्री धीरज कुमार शर्मा पुत्र सुभाष चन्द्र शर्मा
ग्राम सिथरौली, पोस्ट हाथर जंक्शन
तहसील व जनपद हाथरस
उत्तर प्रदेश
मो.नं. 9837352824

विषयः 132 के.वी. डबल सर्किट ट्रान्समीशन लाइन के पुराने टावर को विस्थापित करने के उपरान्त नई संशोधित लाइन हेतु आपकी जमीन पर डीएफसीसीआईएल एवं एपीएस कम्पनी द्वारा दो टावर फाउन्डेशन का निर्माण करने व पुराने टावर फाउन्डेशन को विस्थापित उपरांत टावर फाउन्डेशन को आपकी जमीन पर यथास्थिति आने व क्षति हुई जमीन व फसलों की शेष मुआवजा राशि का भुगतान आजतक न किये जाने के संबंध में आपका अभ्यावेदन।

संदर्भः 1. इस कार्यालय का पत्र संख्या HQ/PG/TDL/2/2019 दिनांक 26.09.2019 (छायाप्रति संलग्न)।
2. इस कार्यालय का पत्र संख्या HQ/PG/TDL/1/2020 दिनांक 22.06.2020 (छायाप्रति संलग्न)।

उपरोक्त विषय पर अवगत कराया जाता है कि आपके दिनांक 26.06.2019 एवं 02.03.2020 के शिकायती पत्रों का जवाब पूर्व में ही इस कार्यालय के उपरोक्त क्रमशः संदर्भित पत्रों के माध्यम से भेजा जा चुका है।

आपके दिनांक 14.08.2020 एवं 27.10.2020 के पत्रों की जाँच इस कार्यालय की टुंडला ईकाई से करवाई गई है और वहाँ से प्राप्त जानकारी के आधार पर आपको यह सूचित किया जाता है कि आपकी जमीन गाटा संख्या 372(अ) पर 132के.वी. लाईन के टावर संख्या 924/1 के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् आपको निम्नलिखित बैंकों के द्वारा 2 लाख रूपये की धनराशि दी जा चुकी है। प्रथम चैक सं0 256754 रुपये 1,00,000 दिनांक 26.03.2018 तथा दूसरा चैक सं0 256795 रुपये 1,00,000 दिनांक 05.04.2018 को श्री विलोचन के नाम से देय है तथा आपने उन चैकों को अपने हस्ताक्षर करने के बाद प्राप्त किया है। आपको टावर संख्या 924/1 फाउंडेशन, इरेक्शन तथा तार बिछाने के समय हुए फसल नुकसान का मुआवजा समय-समय पर दिया जा चुका है दिनांक 23.03.2018 को टावर डिसमेंटलिंग के समय पर साइट पर लिए गये फोटो यह साफ दर्शाते है कि खड़ी टावर वाले खेत में डिसमेंटलिंग के समय कोई भी फसल नहीं थी अतः आपका फसल संबंधित कोई नुकसान नहीं हुआ है।

आप द्वारा प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ.प्र. शासन से जनसूचना अधिकारी अधिनियम-2005 के अंतर्गत पारेक्षण लाइन से प्रभावित भू-स्वामी को भूमि अधिग्रहण से लाभान्वित होने तथा रेल मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भूस्वामी को लाभान्वित होने के संदर्भ दिये गये है जिसके संबंध में आपको यह अवगत कराना है कि डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. रेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन विशेष परियोजना माध्यम साधन है तथा डीएफसीसीआईएल मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा 132 के.वी. पारेषण लाइन बिछाने के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में कोई भी दिशा-निर्देश जारी नही किये गये है।

आपके दिनांक 17.08.2020 एवं 27.10.2020 के शिकायती पत्र टुंडला ईकाई को क्रमशः 27.08.2020 एवं 06.11.2020 में टिप्पणी प्राप्त करने के लिए भेजे गये थे वहां से आपकी शिकायतों की जांच पडताल करने के उपरांत दिनांक 19.02.2021 में प्राप्त टिप्पणी के आधार पर आपको यह पत्र सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

अनिल 22.2

(अनिल कुमार शर्मा)
संयुक्त महाप्रबंधक/जन शिकायत/सिविल

प्रतिलिपि : Ombudsman/DFCCIL को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

TDL/EN/RTI/212 (A)

दिनांकः- 05.02.2021

Dy.GM/Admin/PIO

डी० एफ० सी० सी० आई० एल०

नई० दिल्ली,

विषयः- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पत्र श्री धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द शर्मा निवासी- ग्राम सिथरौली, पोस्ट हाथरस जंक्शन, जनपद- हाथरस, के द्वारा मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में |

सन्दर्भः- I आपके कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्र संख्या 2020/HQ/ADMIN/RTI-77 दिनांक 29.01.2021 मुख्य महाप्रबन्धक कार्यालय में पत्र प्राप्ति दिनांक 29.01.2021.

II प्रार्थी के पत्र दिनांक 27.01.2021 मुख्य महाप्रबन्धक कार्यालय में पत्र प्राप्ति दिनांक 29.01.2021 (संलग्न 10/- पोस्टल आर्डर संख्या 54F 358580)

III उप परियोजना प्रबन्धक/विधुत के पत्र स. TDL/ELECT./Rem.Letter/Y2021/म-02/Letter दिनांक 05.02.2021.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र सं. I, एवं II, के तहत श्री धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द शर्मा निवासी- ग्राम सिथरौली, पोस्ट- हाथरस जंक्शन, जनपद- हाथरस, का पत्र प्राप्त हुआ इसकी जानकारी हेतु महाप्रबन्धक/विधुत/टूंडला को सूचित किया गया | सन्दर्भित पत्र सं. III, के तहत उप परियोजना प्रबन्धक/विधुत/टूंडला द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई वह इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको भेजी जा रही है |

(अरुण कुमार अदलखा)

(उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/मानव संसाधन/टूंडला)

संलग्नकः- 27 प्रष्ठ.

प्रतिलिपिः-

1. मुख्य महाप्रबन्धक/टूंडला को सूचनार्थ हेतु प्रेषित |
2. महाप्रबन्धक/विधुत/टूंडला को सूचनार्थ हेतु

15/02/2021

(27)

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)
डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

TDL/ELECT./Rem. Letter/Y-2021/M-02/Letter Dated-05.02.2021.

सेवा में,

श्रीमान महाप्रबन्धक / विद्युत
डी.एफ.सी.सी.आई.एल., आगरा।

विषय— डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा 132 के0बी0 डबल सर्किट ट्रान्समीशन लाइन के टावर फाउन्डेशन का निर्माण करने व नई संशोधित लाइन हेतु प्रार्थी धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, नि0 सिथरौली, पोस्ट–हाथरस जंक्शन, तहसील व जिला–हाथरस की जमीन पर दो टावर फाउन्डेशन का निर्माण करने व पुराने टावर फाउन्डेशन को विस्थापन उपरान्त फाउन्डेशन को यदास्थिति प्रार्थी की जमीन पर छोड आने व प्रभावित हुई जमीन व नष्ट हुई फसलों की शेष मुआवजा राशि का भुगतान आज तक न किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ— i. HQ letter No. 2021/HR/ADMIN/RTI-77 Dated 29.01.2021.

ii. प्रार्थी श्री धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शर्मा के शिकायत पत्र दिनाँक–17.08.2020 व 27.10.2020.

iii. HQ/PG/TDL/2/2019 Dated: 26.09.2019

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है, कि प्रार्थी धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, नि0 सिथरौली, पोस्ट–हाथरस जंक्शन, तहसील व जिला–हाथरस का मूल निवासी है। तथा प्रार्थी की जमीन का गाटा संख्या–372 (अ) है पर 132 के0वी लाइन के दो टावर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

उपरोक्त संदर्भ संख्या–(ii) के अनुसार रू0–1,00,000 चैक संख्या–256754 दिनाँक–26.03.2018 तथा दूसरा चैक संख्या–256795 रू0–1,00,000 दिनाँक–05.04.2018 को श्री विलोचन के नाम से देय चेक प्रार्थी द्वारा अपने हस्ताक्षर / स्वीकृति द्वारा प्राप्त कर लिये गये हैं। प्रार्थी के अनुसार टावर संख्या–924 / 1 है, जो कि प्रार्थी के खेत मे पहले से ही पुरानी रेलवे लाइन 132 के0वी0 का खडा था, तथा प्रार्थी को पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका है, कि टावर डिसमेन्टलिंग के केस में प्रार्थी के खेत मे कोई फसल खडी नहीं थी। अतः प्रार्थी का फसल सम्बन्धी कोई भी नुकसान नही बनता है। प्रार्थी द्वारा मैसर्स एसोसियेटेड पावर स्ट्रैक्चर्स प्रा0लि0 के पते की जानकारी पत्र संख्या–HQ/PG/TDL/2/2019 Dated: 26.09.2019 के माध्यम से पूर्व मे दी जा चुकी है।

प्रार्थी को *टेण्डर नं0–एच / ई.एल. / 132 के.वी.टी.आर.एल. क्रासिंग / ई.सी.–02 के पार्ट–II चेप्टर–VIII के पैरा संख्या–2.8.8 के III(b)* के अनुसार फसल नुकसान का भुगतान किया जा चुका है।

प्रार्थी द्वारा प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ0प्र0 शासन से जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत पारेक्षण लाइन से प्रभावित भू–स्वामी को भूमि अधिग्रहण से लाभान्वित होने तथा रेल मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भूस्वामी को लाभान्वित होने के संदर्भ दिये गये हैं। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी को यह अवगत कराना है, कि डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 रेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन *विशेष परियोजना माध्यम साधन* है। तथा प्रबन्ध निदेशक, डी.एफ.सी.सी.आई.एल., नई दिल्ली द्वारा 132 के0वी0 पारेषण लाइन बिछाने के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण से प्रार्थी के लाभान्वित के सम्बन्ध मे कोई भी दिशा–निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

अतः सूचना आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

05/02/2021

(अन्शुल राजपूत)
उप परियोजना प्रबन्धक (विद्युत)
डी.एफ.सी.सी.आई.एल., अलीगढ़

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Tender No. HQ/EL/132KV TRL-XING/EC-02

For

Design, supply, erection, testing and commissioning of 132 KV, 3 phase double circuits Transmission Line Crossing Modification work for DFC alignment in Allahabad Division of North Central Railway

Employer:
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE
Under
MINISTRY OF RAILWAYS

00000043

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lX7qwkkJ6i0lhKRGZTu_nDc6YXLC7dDR

Scanned with CamScanner

PART II

CHAPTER VIII

2.0 ERECTION OF THE TRANSMISSION LINE

PARA NO.	SUBJECT
2.8.1	Scope
2.8.2	Compliance with regulations.
2.8.3	Inspection
2.8.4	Measurements
2.8.5	Foundations
2.8.6	Towers
2.8.7	Stringing of conductors and ground wire.
2.8.8	Way-leave and site clearance.

Scanned with CamScanner

[illegible] to be paid to the concerned State/Central [illegible] department, the same shall be paid directly by the [illegible]. The tree cutting/trimming of such identified trees will have to be done by the contractor, who shall hand over such cut trees/crops to employer/owner (as decided) at the same location.

iii) (b) Damage to private trees/crops/property.

Where cutting/damage to any tree/crops/property belonging to private party becomes necessary for construction of transmission line, the contractor will have to directly negotiate with the concerned party for way leave and pay all compensations. The tree cutting/trimming and all related activities will be done by the contractor. The disposal of such trees/crops/damaged property shall be responsibility of the contractor.

iv) It shall be the responsibility of contractor to ensure that required clearances as per relevant clauses IS:5613 (latest edition) are available.

v) During the process of erection, if any obstruction is encountered from the villagers/outsider/any other Govt./Semi Govt./Private agency, the contractor shall resolve the same at his own cost.

vi) No compensation whatsoever (i.e. idle charges, rate escalation, loss or profit or any other losses) will be granted to the contractor on ground of non availability of right of way including approval from the Railway, P&T Deptt., Forest Deptt. and consequent delays. Further non availability of right of way alone will not become a sufficient ground for extension of completion period unless contractor proves that all formalities at his end have been completed and he has made all efforts timely for securing right of way.

The compensation for trees, crops etc. (except government forest), if required to be paid to execute erection of the line and for getting clearance as per relevant clause of IS:5613 (Pt.II/Sec.2) - 1976 shall be reimbursed by the Employer supported by the receipt in original granted by the owner of the trees/crops and duly certified by BDO/SDO or Engineer-in-charge and any local authorities (Govt.).

The rate for compensation for trees which may be required to be felled down as indicated above will be paid as per prevalent rate of the concerned DFO. However, the rate for crop compensation will be paid as per the rate fixed by the local BDO/SDO or local Govt. authorities. However, the felling down of above trees/crops etc. is the responsibility of Contractor and has to be done by him at his own cost for which no extra payment will be made. The Contractor

00000183

Scanned with CamScanner

shall take all responsible steps to minimise damage to standing crops as far as practicable.

In event of any Govt. Forest unavoidably falling along the route alignment, negotiation with Forest Department of State Govt. will be done by DFCCIL and if any compensation is to be paid for getting the requisite clearance, it is to be paid by DFCCIL directly to the Forest Department. Felling down of the trees will be done by the Contractor at his own cost. Contractor shall hand over such cut trees to employer/owner (as decided) at the same location.

vii) If any claim from any private/Govt. party for damage to tree/crop/property, right of way, way leaves, access to sites, etc. arises against DFCCIL during erection of transmission line or even later after construction upto a period of 18 months after issue of PAC, the same shall be simply passed over to the contractor for disposal. The contractor shall be responsible for settling the issue as per law and assuring that DFCCIL is not put to any in convenience.

However, if due to any statutory rules/regulations/obligations, court ruling, the DFCCIL is required to make any payment to anybody (other than a Govt. department) the same shall have to be reimbursed by the contractor within 30 days of making such a claim (date of issue).

In event of non-payment of same by the contractor within 30 days of date of issue of such a claim, the employer may take action to recover the amount from any Securities/guarantees/payments of the contractor available with employer. This is without prejudice to other remedies available to the employer under the law.

xxxxxx

Scanned with CamScanner